न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–56 / 2019

उनवान –सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार पुत्र प्रितमसिंह (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –23.01.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री आसिमदीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रितमसिंह निवासी औडेला रोड, त्यागी छात्रावास के पास धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2018 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में लगभग 60 किलो ग्राम मिल्क केक जो आम जनता को विकय करने हेतु रखा था। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त मिल्क केक में से दो किलो ग्राम मिल्क केक वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त मिल्क केक नमूना डी–1556 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 16.11.2018 के अनुसार उक्त मिल्क केक का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड मिल्क केक का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड मिल्क केक बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रितमसिंह निवासी औडेला रोड, त्यागी छात्रावास के पास धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 20,000 / –रुपये (बीस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)